वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2022-23

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2022–23

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, 2–2ए, झालाना डूंगरी,
जयपुर (राजस्थान)–302004

E-mail:- rspfcl@rajasthan.gov. in

Tel.No.: +91-141-2708611

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कॉरपोरेशन : एक परिचय	1
2.	संगठनात्मक ढाँचा	3
3.	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	4
4.	प्रमुख कार्य एवं प्रगति एवं विगत तीन वर्षों की तुलना	6
5.	वर्ष 2022–23 की विशेष उपलब्धियां	10
6.	सार– संक्षेप	10
7.	दूरभाष निर्देशिका	11

कॉरपोरेशन : एक परिचय

गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSPFCL) का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 की पालना में किया जाकर इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में पंजीकृत कराया गया।

कॉरपोरेशन को गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non-Banking Financial Company) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

पुनः मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित कॉरपोरेशन का नाम **राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Ltd.)** किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसे वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं, को इस कॉरपोरेशन में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। इस जमा राशि पर उन्हें कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि के ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

पुनर्गठन उपरांत कम्पनी का नवीन नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्गठित कम्पनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

उद्देश्य

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेशन को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
- राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की प्राप्ति हेतु बैंकों पर निर्भरता में कमी लाना।
- राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर, परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को cables, transformers, conductors, उपकरण एवं मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना।
- राज्य में स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना एवं इन्हें underwrite करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्ड्स, शेयर्स अथवा पूँजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना।
- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ Property Development and Management का कार्य करना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों, जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं के ईंधन के रूप में किया जाना है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य की विद्युत कम्पनियों को आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाने के लिये consultancy services उपलब्ध कराना।

संगठनात्मक ढाँचा

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका प्रशासनिक विभाग राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग इसके पदेन अध्यक्ष हैं तथा शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, प्रबंध निदेशक हैं।

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार हैः—

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	प्रबंध निदेशक
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग	निदेशक
4.	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	निदेशक
5.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	निदेशक
6.	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	निदेशक
7.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	निदेशक
8.	प्रबंध निदेशक, रीको	निदेशक
9.	संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग	निदेशक
10.	श्री प्रदीप कुमार बोरड़	स्वतंत्र निदेशक
11.	श्री लीलाधर शर्मा	स्वतंत्र निदेशक

स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

कॉरपोरेशन के पुनर्गठन उपरांत राज्य सरकार द्वारा 32 विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत 32 पदों में से 25 पद प्रतिनियुक्ति से, 6 पदों पर विशेष चयन से एवं 1 पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है। स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण (31.12.2022 की स्थिति) निम्नानुसार है–

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्तियाँ
1.	कार्यकारी निदेशक	01	00	01
2.	महाप्रबंधक (वित्त)*	01	01	–
3.	महाप्रबंधक (सिस्टम)	01	01	–
4.	महाप्रबंधक (HR/Adm/Vig.)	01	00	01
5.	महाप्रबंधक (क्रेडिट एवं निवेश)	01	00	01
6.	महाप्रबंधक (फंड़ मोबिलाइजेशन और बैंकिग)	01	00	01
7.	अतिरिक्त महाप्रबंधक (बैंकिग)	01	00	01
8.	सहायक महाप्रबंधक (Adm/HR)	01	01	–
9.	सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	01	01	–
10.	कंपनी सचिव **	01	00	01
11.	प्रबंधक (बजट एवं उपापन)	01	01	–
12.	प्रबंधक (लेखा एवं ऑडिट)	01	00	01
13.	प्रबंधक (लेखा)	01	01	–
14.	प्रबंधक (फंड मोबिलाईजेशन और पुनर्भुगतान	01	00	01

15.	प्रंबधक / उपप्रबंधक(NBFC विनियामक एवं अनुपालना)	01	00	01
16.	प्रबंधक (ऋण एवं वसूली)	01	00	01
17.	सहायक प्रबंधक (विधि)***	01	01	—
18.	सहायक प्रबंधक (बिल)	01	00	01
19.	सहायक प्रबंधक (आशुलिपिक)	02	00	02
20.	एग्जीक्यूटिव (HR/Adm)	01	00	01
21.	एग्जीक्यूटिव (IT)	02	00	02
22.	सहायक एग्जीक्यूटिव (बिल एवं नगद)	01	00	01
23.	सहायक एग्जीक्यूटिव (ड्राईवर)	02	00	02
24.	सहायक	06	00	06
	कुल	**32**	**6**	**26**

*महाप्रबंधक (वित्त) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत हैं।

**कम्पनी सचिव की सेवाएँ कम्पनी सचिव फर्म से संविदा आधार पर प्राप्त की जा रही हैं।

***सहायक प्रबंधक (विधि) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत है।

अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति हेतु आउटसोर्सिंग / प्लेसमेंट ऐजेन्सी की सेवाएं ली जाती हैं।

प्रमुख कार्य, प्रगति एंव विगत तीन वर्षों की तुलना

प्रमुख कार्य

- कॉरपोरेशन द्वारा नियमित कार्य हेतु अब तक डिपोजिट नीति (Deposit Policy), ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy), निवेश नीति (Investment Policy), ऋण नीति (Credit Policy) एवं सतर्क तंत्र/ व्हिसिल ब्लोअर नीति (Vigil Mechanism /Whistle Blower Policy) तैयार की गई हैं।

- कॉरपोरेशन में कम्पनी अधिनियम/अन्य विनियम/नियमों की पालना में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (Corporate Social Responsibility Committee), वित्त समिति (Finance Committee), लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee) का गठन किया गया है।

प्रगति

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा अपने वार्षिक लाभ में से सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में खर्च करने योग्य अंश वर्ष 2021–22 की राशि ₹ 7.25 लाख से राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान, जामड़ोली, राजस्थान में स्थित मानसिक विकलांग शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के विद्यार्थियों के लिये 1 ऑल इन वन कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर एवं फर्नीचर (स्टूडेट स्टडी टेबल–चेयर, लाइब्रेरी टेबल–चेयर, कम्प्यूटर टेबल, ऑफिसर टेबल–चेयर, विजिटर्स चेयर, अलमीरा इत्यादि) उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऑल इन वन कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फर्नीचर की खरीद और संस्थापना का कार्य कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। जिसके लिये कॉरपोरेशन के द्वारा राशि ₹ 7.25 लाख का भुगतान किया गया।

- कॉरपोरेशन के द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान पर्यटन विकास निगम से प्राप्त ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन कर कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं ऋण संवितरित किया गया।

- वर्ष 2022 के दौरान जारी किये गये ऋण का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि रू. करोड़ों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	ऋण का विवरण	राशि	संवितरण तिथि
1.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सावधि ऋण	100.00	13.04.2022

➢ निदेशक मण्डल (Board of Directors) की बैठकों का सार–

- वर्ष 2022–23 में अप्रैल से दिसंबर माह तक निदेशक मण्डल की 3 बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें किये गए व्यवसाय के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:–
- कॉरपोरेशन ने वर्ष 2022–23 के दौरान AU Small Finance Bank से राशि रू. 250 करोड़ का ऋण प्राप्त किया।
- कॉरपोरेशन को रू. 50 करोड. की शेयर पूँजी सरकार द्वारा जारी की गई जिससे कॉरपोरेशन की वर्तमान अंशपूँजी (Equity) राशि रू. 140 करोड़ हो गई है।
- कॉरपोरेशन की सर्तक तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति (Vigil Mechanism /Whistle Blower Policy) का अनुमोदन किया गया।
- कॉरपोरेशन ने राशि 750 करोड़ रू. के ऋण हेतु Acuite क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से प्राप्त 'A-' क्रेड़िट रेटिंग का अनुमोदन किया गया।
- सामाजिक उत्तरदायित्व मद पर खर्च करने के सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की अनुशंषा स्वीकृत की गयी।
- कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को स्वीकृत ऋण का संज्ञान लिया गया।
- अंकेक्षकों द्वारा जारी किये गये ऑडिट आक्षेपों पर प्रबन्धन के आक्षेपवार लिखित उत्तर को स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कम्पनी के वर्ष 2021–22 के अंतिम खातों को स्वीकृति दी गयी।

➢ तीन वर्षों की तुलना

(राशि लाख रू. में)

क्र.स.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
		ऋण वितरण	ऋण वितरण
1	2020–21	75000.00	3000.00
2	2021–22	140500.00	50500.00
3	2022–23	168500.00	10000.00*

*वर्ष 2022–23 के दौरान 31.12.2022 तक की उपलब्धि।

बजट 2022–23

(रू. लाखों में)

	प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान (2022–23)	प्राप्तियाँ (31.12.2022 तक)
I.	**राजस्व**		
1	ऋणों से ब्याज की प्राप्तियाँ	18,275.75	3955.43
2	निवेश से प्राप्त ब्याज	400.00	51.27
	योग I	**18,675.75**	**4,006.70**
II.	**पूँजी**		
1	राजकीय अंश	15,000.00	0.00
2	बॉण्ड उत्थापन/ऋण	1,25,000.00	25,000.00
3	डिपोजिट(राजकीय संस्थापन से)	25,000.00	0.00
4	ऋण भुगतान	10,500.00	0.00
	योग II	**1,75,500.00**	**25,000.00**
	कुल योग I+II	**1,94,175.75**	**29,006.70**
	व्यय	**बजट प्रावधान (2022–23)**	**व्यय (31.12.2022 तक)**
I.	**राजस्व**		
1	प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय	760.56	105.12
2	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	15,679.35	3,524.40
3	बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय 150.00	0.00	
4	अनुसंधान एवं विकास व्यय 0.01	0.00	
5	सी.एस.आर में व्यय 20.00	0.00	
	योग I	**16,609.92**	**3,629.52**
II.	**पूँजी**		
1	फर्नीचर	7.00	–
2	कार्यालय उपकरण	6.00	1.07
3	ऋण	1,68,500.00	10,000.00
4	जमा भुगतान	20,000.00	–
	योग II	**1,88,513.00**	**10,001.07**
	कुल योग I+II	**2,05,122.92**	**13,630.59**

31.12.2022 तक के आँकड़े उपार्जित पद्धति पर दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2022–23 की विशेष उपलब्धियां

1. राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को 100 करोड़ रू. की राशि का सावधि ऋण सक्षम स्वीकृति के उपरांत दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को संवितरित किया गया।

2. कॉरपोरेशन के द्वारा राशि 750 करोड़ रू. के ऋण हेतु Acuite क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से 'A-' क्रेड़िट रेटिंग प्राप्त की गयी।

सार– संक्षेप

1. वर्ष 2012 में कॉरपोरेशन का गठन राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राजकीय कम्पनी के रूप में किया गया।

2. तत्पश्चात् वर्ष 2015 में कम्पनी का पुनर्गठन कर इसमें वित्तीय सेवाओं से संबधित उद्देश्य जोड़े गये। राज्य के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि को RSPF&FSCL में जमा कराने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूँजी एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि से राज्य के अन्य राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना इस निगम का उद्देश्य है।

3. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2022–23 में 250 करोड़ रू. की राशि का ऋण प्राप्त किया।

4. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को 100 करोड़ रू. की राशि का ऋण संवितरित किया है।

दूरभाष निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्री अखिल अरोरा आईएएस	अध्यक्ष, RSPF&FSCL एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त)	0141—2227664
2.	श्री रोहित गुप्ता आईएएस	प्रबंध निदेशक, RSPF&FSCL एवं शासन सचिव, वित्त (बजट)	0141—2227934
3.	श्री पवन जैमन	महाप्रबंधक (वित्त)	0141—2227468
4.	श्री राजीव गुप्ता	महाप्रबंधक (सिस्टम)	0141—2708611
5.	श्री पंकज जाँगिड़	सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)	0141—2708611
6.	श्री अशीष शर्मा	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा)	0141—2708611
7.	श्री टीकम चन्द शर्मा	प्रबन्धक (लेखा)	0141—2708611
8.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	प्रबन्धक (लेखा)	0141—2708611
9.	सुश्री कृति जोशी	कम्पनी सचिव	0141—2708611

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय :

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड
फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, 2-2 ए,
झालाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान) 302004
दूरभाष : 91-141-2708611, ईमेल : rspfcl@rajasthan.gov. in